संख्या-340/2018/2616/22-2-2017-17(392)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2018***

विषय:- जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती रूमाली देवी पत्नी श्री चन्द्रभान सिंह निवासी जनपद-देवरिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35939/प्रोबे0-5-दयायाचिका/973 दिनांक 03.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती रूमाली देवी पत्नी श्री चन्द्रभान सिंह, जो ग्राम- चौबेपुरा, थाना-भलुअनी, जनपद- देवरिया की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा जमीन के बटवारे की रंजिश को लेकर दिनांक 06-04-2013 को 04 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-324/2013 में भा0द0वि0 की धारा-147, 504, 323/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, देवरिया के आदेश दिनांक 14.10.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2017 तक 03 वर्ष 08 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 00 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी श्रीमती रूमाली देवी (बन्दी संख्या-63/15) पत्नी श्री चन्द्रभान सिंह निवासी जनपद-देवरिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-340/2018/2616(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in